सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

CRACKDOWN

प्रेस नोट- दिनांक 15.03.2024

मात्र 06 घण्टे में ए.एन.एम सैफई की छात्रा की हत्या करने वाले 01 मुख्य अभियुक्त सहित कुल 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार , कब्जे से आलाकत्ल पेचकस, 01 अवैध तमन्चा, 02 खोखा कारतूस एवं 02 जिन्दा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त ईको कार की गयी बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में *एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना वैदपुरा* पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी शोभा मिश्रा पत्नी अनिल कुमार निवासी होली मोहल्ला कस्बा व थाना कुदरकोट जनपद औरैया द्वारा थाना वैदपुरा पर तहरीरी सूचना दी गयी कि उसकी बेटी प्रिया सैफई कालेज से एएनएम प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी जिसकी दिनांक 14.03.2024 को महेन्द्र बाथम ने अपने भाई के साथ मिलकर हत्या करके शव को मदरडेरी प्लान्ट के पास सड़क किनारे फेंक दिया, **सूचना पर तत्काल थाना वैदपुरा पर मु0अ0सं0 14/2024 धारा 302/201/34 भादवि पंजीकृत किया गया ।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुये घटना के अनावरण हेतु एसओजी/सर्विलान्स एवं जनपद में अन्य थानों से पुलिस टीमों का गठन किया गया जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत थी । इसी क्रम में दिनांक 15.03.2024 को एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना वैदपुरा पुलिस टीम एवं अन्य गठित पुलिस टीमों द्वारा थाना वैदपुरा क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि ए.एन.एम छात्रा की हत्या करने वाला **अभियुक्त कार से सोनई पुल के पास कहीं जाने की फिराक में खड़ा है सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीमों द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये सोनई पुल के पास से 09.40 बजे गिरफ्तार किया गया ।**

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि मैंने प्रेम सम्बन्ध में बाधा आने के कारण प्रिया की हत्या कर दी थी तथा पेचकस को वहीं पास में फेंक दिया था, पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को जब घटना स्थल पर ले जाया गया इसी दौरान उसने बैग में पेचकस के पास रखे तमन्चे से पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया जिसकी 01 गोली थानाध्यक्ष वैदपुरा की सरकारी गाड़ी के बोनट पर जाकर लगी, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो 01 गोली अभियुक्त के बाये पैर में लगी जिसे पुलिस टीम द्वारा घायल अवस्था में 01 अवैध तमन्चा व 02 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया ।

इसी क्रम में पुलिस टीमों द्वारा प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 14/2024 में वाँछित अन्य **अभियुक्त को रामप्रकाश पुत्र बालेश्वर को नगला बरी तिराहे से नगला बाबा की ओर जाने वाली सड़क के पास से समय 13.20 बजे गिरफ्तार किया गया ।**

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. महेन्द्र बाथम पुत्र रामरतन बाथम निवासी होली मोहल्ला थाना कुदरकोट जनपद औरैया **उम्र 28 वर्ष।**

02. रामप्रकाश पुत्र बालेश्वर निवासी होली मोहल्ला थाना कुदरकोट जनपद औरैया **उम्र 53 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 14/2024 धारा 302/201/34/120बी भादवि थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. **01 अवैध तमन्चा 315 बोर**
2. **02 खोखा कारतूस 315 बोर**
3. **02 जिन्दा कारतूस 315 बोर**
4. **01 पेचकस (आलाकत्ल)**
5. **01 कार ईको UP75AC7818 (घटना में प्रयुक्त)**

पुलिस टीम- प्रथम टीम:- उ0नि0 जयप्रकाश सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलान्स मय टीम।

द्वितीय टीम:- उ0नि0 श्री समित चौधरी थानाध्यक्ष वैदपुरा मय टीम।

तृतीय टीम:- उ0नि0 श्री मन्सूर अहमद थानाध्यक्ष चौबिया, उ0नि0 श्री सनत चौधरी थानाध्यक्ष लवेदी, उ0नि0 श्री कपिल चौधरी थानाध्यक्ष बसरेहर मय टीम।